



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 504 राँची, गुरुवार, 10 श्रावण, 1946 (श०)
1 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 जून, 2024

संख्या-4/विविध-10-12/2020 का. 3902--विभागीय आदेश संख्या- 6385 दिनांक 24.11.2003 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता सूची में श्री इशित्याक अहमद, झा०प्र०से०, कोटि क्रमांक- 769/03 का गृह जिला हजारीबाग अंकित है ।

2 श्री अहमद के द्वारा समर्पित आवेदन में अपना गृह जिला हजारीबाग के स्थान पर रामगढ़ परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है ।

3. श्री अहमद थाना/प्रखण्ड माण्डू, जिला-रामगढ़ के स्थायी निवासी है। माण्डू पूर्व में जिला हजारीबाग के अन्तर्गत था। दिनांक 12.09.2007 को रामगढ़ जिला के गठन के पश्चात माण्डू प्रखण्ड रामगढ़ जिला का भाग है ।

4. श्री अहमद के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न कागजातों के सम्यक जाँचोपरान्त श्री इशितयाक अहमद का गृह जिला-हजारीबाग से परिवर्तन कर गृह जिला - रामगढ़ करने का निर्णय लिया गया है ।

5. सम्यक विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या- 6385 दिनांक 24.11.2003 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता सूची में श्री इशितयाक अहमद, झांप्र०से०, कोटि क्रमांक- 769/03 का गृह जिला- हजारीबाग को परिवर्तित करते हुए इनका गृह जिला रामगढ़ अन्तःस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
